कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

---:: || प्रावधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र ||::---
(नवीन निजी अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय हेतु)

भोपाल, दिनांक: 24/10/2025

क्रमांक: 1403/ आउशि/ सम्बद्धता / 2025: नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमो के संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित संबद्धतादायी शासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने के पूर्व उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2025-26 हेतु जारी किया जाना है।

2. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रावधिक रूप से जारी किया जा रहा है । भौतिक निरीक्षण के समय आवेदन पत्र के अभिलेखों में कोई विसंगति पायी जाती है तो प्रदाय उक्त प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा।

3.यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित क्षेत्रीय संबद्धतादायी विश्वविद्यालयों से संबद्धता हेतु जारी किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विषय	विवरण	टीप
1.	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	PRASHANTI EDUCATIONAL AND WELFARE SOCIETY	Nil
2.	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम एवं पता	2417 - GLOBAL PRASHANTI NURSING COLLEGE, DIST. UJJAIN GRAM GANGEDI, POST LEKODA, NEAR MAHAVEER TAPOBHUMI INDORE ROAD, UJJAIN	Nil
3.	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	B.Sc Nursing [ALL YEAR] [Seat :50], Post Basic B.Sc Nursing [ALL YEAR] [Seat :30],	Nil
4.	मान्य नवीन पाठ्यक्रम	B.Sc Nursing [ALL YEAR] [Seat :50], Post Basic B.Sc Nursing [ALL YEAR] [Seat :30],	
5.	अमान्य नवीन पाठ्यक्रम	Nil	Nil

4. इस आदेश के विरुद्ध मान्यता संबंधी विभाग के मार्गदर्शिका की कंडिका 7 एवं 7.1 के तहत संस्था द्वारा 15 दिवस में अद्यतन प्रमाणित दस्तावेजों के साथ रिव्यु हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित शासकीय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए सत्र 2025-26 के प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए संबंधित पाठ्यक्रम की कोर्स अवधि के लिए मान्य होगा।

6. अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं मार्गदर्शिका में निहित समस्त प्रावधान/नियम का पालन संबंधित शासकीय विश्वविद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. यदि किसी समय नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा प्रदत जानकारी असत्य एवं नियमों की पूर्ति नहीं करती हुई अथवा उसके विपरीत पायी जाती है, तो नर्सिंग महाविद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए आवेदक संस्था/समिति के विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

[आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित]

(डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्र. 1404/ आउशि/ संबध्दता/ 2025 **भोपाल, दिनांक: 24/10/2025**

प्रतिलिपि:-